रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

नव वर्ष मंगलमय हो BEH

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –4 ● कानपुर 16 से 29 फरवरी 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु होगा संघर्ष

- पंजीयन का मुद्दा अब हम नहीं टाल सकते
- अधिकारिता का क्रियान्वयन करना ही होगा
- चिकित्सक जुड़ेंगे इस अभियान से
- अधिकारियों की नानुकुर न चलेगी
- बहुत दे दिया वक्त
- अधिकार है उसे लेकर रहेंगे

पिछले काफ़ी दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के जनपद के मुख्य चिकितसा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन का मामला लटका पड़ा है, इस विषय पर सरकार ने अपना मत तो स्पष्ट कर दिया है लेकिन विभागीय अधिकारी अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपना दृष्टिकोंण बदल नहीं पाये हैं, फलस्वरुप प्रदेश का हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने आपको इन अधिकारियों के समक्ष बेबस सा महसूस कर रहा है, जिसके कारण समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में एक मौन आक्रोश है, आज स्थिति यह है कि प्रदेश का जागरुक इलेक्ट्रो होम्योपैथ सरकारी रवैये से क्षुब्ध है। हर चिकित्सक के हृदय में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है यदि शीघ्र ही सरकार ने इस विषय पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ आन्दोलन की राह में उतरने को तत्पर है, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में हो या न हो इस मूड को भाँपने के लिये प्रदेश व्यापी सर्वेक्षण कराया। तीन महीने की लम्बी अवधि में बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद के निर्देशन में यह सर्वे कार्यक्रम पूरा हुआ, सर्वे पर आयी चिकित्सकों की राय पर सन्तोष जताते हुये डा0 अतीक अहमद ने बताया कि प्रदेश का 83 प्रतिशत चिकित्सक यह चाहता है कि जनपद का मुख्य चिकित्साधिकारी उनका पंजीयन करे, 11 प्रतिशत चिकित्सक हाँ और न के बीच डोलते रहे शेष 6 प्रतिशत चिकित्सक पंजीयन के विषय पर अंजान थे उनको यह जानकारी भी नहीं है कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन भी कराना है। इन 6 प्रतिशत चिकित्सकों की राय पर आशचर्य इसलिये नहीं होना चाहिये क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां संचार माध्यमों का आभाव है, दूसरे यह 6 प्रतिशत उस कोटि के चिकित्सक हैं जो प्रमाण पत्र लेने के बाद सिर्फ़ धनोपार्जन में लगे रहते हैं चिकित्सा पद्धति से इनका दूर–दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, कुछ प्रतिशत ऐसे भी चिकित्सक हैं जो परस्पर संवाद नहीं करते फ़लस्वरुप उन्हें चिकित्सा पद्धति में होने वाले किसी भी परिवर्तन या विकास की जानकारी नहीं है। इस सर्वेक्षण से एक बात तो स्पष्ट हो गयी कि गत तीन वर्षों से बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा जो सतत जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है यह उसी का परिणाम है कि चिकित्सकों में जागरुकता का भाव पैदा हो रहा है दूसरा यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने हेतु बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया, इस अभियान को सफ़ल बनाने के लिये अभियान की कमान स्वयं बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने संभाली और इसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सकों के मध्य जागरुकता का भाव पैदा हुआ और जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के सम्बन्ध में जो भ्रान्तियां थीं वह काफ़ी हद तक दूर हो गयीं, यहां पर यह बताना उचित होगा कि जबसे प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये शासनादेश जारी कर प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान किया गया तभी से यह निणर्य ले लिया गया था कि जिस तरह से प्रदेश में चिकित्सा करने के लिये अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा अपने चिकित्सा कार्य करने हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। यह आवेदन इसलिये देना पड़ता है चूँकि उत्तर प्रदेश में झोलाछाप चिकित्सकों की भरमार थी जिसके कारण रोगियों को योग्य और प्रशिक्षित चिकित्सकों में अन्तर करना मुशकिल होता था इस समस्या के समाधान के लिये एक याचिका संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में पारित आदेश में सभी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदाता संस्थाओं को उत्तर प्रदेश शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करना है तथा चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश का अक्षरशः पालन करते हुये आदेशित किया कि सभी शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत चिकित्सक अपना आवेदन प्रस्तुत करें चाहे वह किसी भी चिकित्सा पद्धति के हों। पहले तो इलेक्ट्रो होम्योपैथों को यह कह कर वापस कर दिया जाता था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को कोई अधिकार ही नहीं है लेकिन जैसे ही 05–05–2010 को भारत सरकार का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान पर भारत सरकार द्वारा किसी भी तरह का रोक का प्रस्ताव नहीं है, उसके बाद 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के लिये एक ऐतिहासिक आदेश दिया गया जिसके अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान तबतक चलता रहेगा जबतक यह कार्य 25–11–2003 में वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने इस आदेश का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य सरकार व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किये जाने का निर्देश भी जारी किया। सबसे पहले इस आदेश का क्रियान्वयन 04 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश राज्य ने किया जिसने प्रदेश में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को इस जिम्मेदारी के निर्वहन का आदेश दिया अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में सिर्फ़ बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही एकमात्र ऐसी विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था है जो प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्य वैधानिक रुप से करने का अधिकारी है। जैसे ही यह आदेश आया पूरे प्रदेश में एक नई चेतना जागृत हो गयी। अब प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को वही अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त हैं अस्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये वही व्यवहार करना चाहिये जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है अब जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में है इसलिये इस पद्धति के चिकित्सकों को भी अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिये और मुख्य चिकित्साधिकारी का यह नैतिक दायित्व है कि वे इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के पंजीयन का आवेदन स्वीकार करें आवेदन स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये चुँकि 2 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने सभी मण्डल के अपर निदेशकों व जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारियों को आदेशित किया कि वे अपने स्तर से 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में पारित आदेश को शासकीय आदेशानुसार परिचालित करें, लेकिन इसे हम महज़ एक संयोग ही मानते हैं कि दो वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वे आज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि पूर्व में करते रहे हैं। बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के तमाम प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि हमारे चिकित्सकों में जागरूकता का भाव जाग्रत हुआ है और अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग भाव ने जन्म लिया है। अब चिकित्सक सारे गतिरोधों को तोड़कर अपना पंजीयन मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में कराना चाहता है, बहुत सारे चिकित्सक विभिन्न जनपदों में अपने पंजीयन के आवेदन मुख्यचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करने में सफ़लता प्राप्त कर चुके हैं लेकिन किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभी भी किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को पंजीयन नहीं दिया गया है। यह एक गम्भीर विषय है इस विषय को चिकित्सकों ने और बोर्ड ने गम्भीरता से लिया और अपने स्तर से यह हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान हो सके, चूँकि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है इसलिए इस समस्या का समाधान पंजीयन से कम पर नहीं है, चूंकि बिना पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय करना अव्याहारिक के साथ–साथ कानून का उल्लंघन भी है। फिर पंजीयन हमारा अधिकार भी है, हम बहुत दिनों से अधिकारियों की उपेक्षा के शिकार हैं लेकिन अब वह समय आ चुका है जब इस समस्या पर विराम लगना चाहिये अधिकारी इतना निरकुंश हैं कि वह किसी भी आदेश को न मानने के तरह–तरह के रास्ते निकाल लेता है, कभी कहता है कि हमें शासनादेश प्राप्त नहीं है, कभी कहता है कि हमें स्पष्ट निर्देश नहीं हैं, कभी यह कह कर पल्ला झाड़ लेता है कि जाओ काम करो तुम्हें किसने रोका है ?यह जवाब किसी भी तरह से किसी स्थिति को निर्मित नहीं

शेष पेज 4 पर

रास्ता तलाशते लोग

हर व्यक्ति को ज़िन्दगी में अपने लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छा होती है, यह बात अलग है कि कोई व्यक्तिगत लक्ष्य के लिये प्रयासशील रहता है और कोई सामूहिक लक्ष्य के लिये अपना सबकुछ लगा देता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी जो लोग लगे हुये हैं वे अपने–अपने स्तर से लक्ष्य की तलाश में हैं। वर्तमान में सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों का एक ही लक्ष्य है किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना हो और इसी स्थापना के लिये जो जिस स्तर का है वह उस स्तर से प्रयास कर रहा है, अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि इतने प्रयासों के उपरान्त भी सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं दिख रहे हैं ? इन्हीं सकारात्मक परिणामों की पूरा भारत प्रतीक्षा कर रहा है कि ऐसा कोई अच्छा परिणाम आये जिससे सबका भला हो जाये। यह जो लोग भला चाह रहे हैं यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला करने के लिये आज से साढ़े चार साल पहले 21 जून, 2011 को भारत सरकार ने एक दिशा प्रदान कर दी थी इस दिशा से पूरे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की दिशा मिल चुकी थी लेकिन इस दिशा को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जहाँतक न स्वीकार कर पाने का प्रश्न है उसके पीछे एक ही कारण है, वह है निजी महत्वाकाँक्षा यदि भारत में जितनी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शीर्ष संस्थायें पहले कार्य कर रही थीं यदि वे 21 जून, 2011 के आदेश को आत्मसात कर लेतीं तो शायद किसी के लिये कोई परेशानी नहीं रहती। उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में अभी भी 21 जून, 2011 के आदेश का क्रियान्वयन होना बाकी है, यदि पूरी ऊर्जा के साथ इन शेष राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इस आदेश को लागू करवा लिया गया होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना भी आसानी से हो जाती, उत्तर प्रदेश राज्य इसलिये छोड़ने के लिये कहा गया है, चूँकि 04 जनवरी, 2012 को ही इस प्रदेश में भारत सरकार के आदेश 21 जून, 2011 का क्रियान्वयन कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रदेश की विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये शासनादेश जारी किया जा चुका था और प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के लिये रास्ता प्रशस्त हो चुका है लेकिन इसे हम संयोग ही कहेंगे कि पूर्व में प्रदेश में जितनी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की संस्थायें संचालित हो रही थीं वे अभी भी अधिकारों की तलाश में हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि पूरे देश में जिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं का दबदबा है उनमें अधिकांश उ0प्र0 से ही सम्बन्ध रखती हैं इसलिये इन संस्थाओं के संचालक उ0प्र0 का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और मोह छोड़ें भी कैसे ? जो जहाँ जन्मता है उसे वहां से प्यार होता है और उ0प्र0 बहुत बड़ा राज्य है वहां सम्भावनायें भी बहुत हैं उन्हीं सम्भावनाओं की तलाश में हर व्यक्ति लगा रहता है, सम्भावनायें तलाशना बुरी बात नहीं है लेकिन सम्भावनाओं की तलाश में वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ना चाहिये, उ0प्र0 में कार्य करने के लिये एक शर्त है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदाता संस्थायें अपने पंजीयन हेतु आवेदन उत्तर प्रदेश शासन में करें तत्पशचात कार्य के बारे में विचार करें क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह न केवल नियम विरुध है बल्कि माननीय न्यायालय की अवमानना भी है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने यह आदेश वाद संख्या 820/2002 में दिया था इसलिये इस आदेश का जो संस्थायें पालन करेंगी वही विधि सम्मत ढंग से कार्य करने में सक्षम होंगी। संयोग है कि देश में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह की शर्त है, बाकी राज्यों में कार्य करने के स्थानीय नियमों के अनुसार छूट है। आज इसी कार्य करने के लिये तरह–तरह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं किसी ने मान्यता को अपना हथियार बनाया है तो कोई संसद से कानून बनवाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये प्रस्तावित बिल पर चर्चा कराना चाहता है, कोई प्राईवेट बिल लाकर कार्य के रास्ते खोलना चाहता है, कुछ ऐसे भी हैं कि संख्या बल दिखा कर सरकार पर दबाव बनाया जाये और कार्य के रास्ते तलाशे जायें।

अब तो सुधर जाईये

जीवन में सुधार के बहुत मौके आते हैं जब आदमी अपनी आदतों को छोड़कर कुछ अच्छी आदतें डाल लेता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर सुधरने का नाटक तो करते हैं परन्तु सुधरते अन्तिम समय तक नहीं हैं ऐसे लोग अपने नुकसान के साथ–साथ समाज का भी नुकसान करते हैं और कभी–कभी तो यह लोग ऐसा नुकसान कर जाते हैं जिसकी भरपाई होना मुशकिल होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के कार्य करते रहते हैं यह लोग ऐसे कार्य क्यों करते हैं ?इसका तो आंकलन हम नहीं कर सकते लेकिन इतना ज़रुर मानते हैं कि जो लोग भी इस कार्य में लिप्त हैं उन्हें आनन्द ज़रुर मिलता होगा। कुछ नमूने हम यहां आपकी जानकारी के लिये लिख रहे हैं जिनसे आप स्वयं अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि यह वह कौन से लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते रहते हैं। एक बिलकुल ताज़ा उदाहरण है जनवरी के अन्तिम दिनों में एक ख़बर बहुत तेज़ी से फ़ैलाई गयी कि एक प्रख्यात समाचार चैनल ने यह समाचार प्रसारित किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल गयी है और काउन्सिल बन गयी है।

जैसे ही यह समाचार फैला इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मध्य एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई लोग एक दूसरे से इस समाचार को सुनने की पुष्टि करने लगे, एक दूसरे से मोबाइल के माध्यम से या जो जिसके पास सूचना का तन्त्र उपलब्ध था उसका उपयोग करते हुये इस समाचार की पुष्टि करने लगे, लोग–बाग फेसबुक, टिव्टर और वाह्टसऐप पर संदेश लिखने लगे सफ़ाई लेने व देने का काम शुरु हो गया, इस समाचार की सत्यता क्या थी या क्या है ?यह आजतक कोई नहीं जान सका सिवा उनके जिन्होंने इस समाचार को फैलाने का कार्य किया था, कष्ट तो तब हुआ जब लोगों ने इसे फ़ेक न्यूज़ (फ़र्ज़ी समाचार) करार दिया, किसी सज्जन ने लिखा कि बिना कानून बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की काउन्सिल कैसे सम्भव है ?उनकी इस बात में दम है और सच्चाई भी झलकती है। यह खबर इतनी तेज़ी से फैली कि पूरे देश में एक नई सोच पैदा हुयी दूसरा उदाहरण इस ख़बर के फैलते ही एक संस्था संचालक ने दावा करना शुरु कर दिया कि यह जो काउन्सिल बनी है यह उनके ही प्रयासों से सम्भव हुआ है ! हर व्यक्ति इतनी जल्दी में है कि उसे इतना भी भान नहीं रहता कि वह क्या दावा कर रहा है ? यहां मतलब क्रेडिट (साख) से है, दुनिया को बतायेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी अच्छा होता है वह हम ही करते हैं इसलिये इस कार्य का श्रेय हमें ही मिलना चाहिये, श्रेय किसको मिलता है ?किसको नहीं मिलता ?यह तो बहुत बाद की बात है पहले तो हम चर्चा में आ ही जाते हैं। इस चर्चा का क्या लाभ है ?यह तो लाभ लेने वाले ही जानते हैं, जनवरी की यह खबर अभी शान्त भी नहीं हुयी थी कि फरवरी में एक ख़बर और पोस्ट कर दी गयी इस बार ख़बर तो सच्ची थी पर प्रस्तुतीकरण ऐसा था कि मानो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सबकुछ मिल गया हो, एक संस्था द्वारा दिल्ली सरकार को यह पत्र लिखकर जानकारी मांगी गयी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सरकार ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मामला विचाराधीन है। इतनी सी बात पर प्रस्तुतीकरण ऐसा कि मानो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गयी हो इसका श्रेय कैसे न लेते ?श्रेय लेना और देना ठीक है लेकिन बात ऐसी बतानी चाहिये जिसका जनमानस पर साकारात्मक प्रभाव पड़े। परन्तु इस श्रेय के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो बात का बतंगड़ बना देती हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण प्रस्तुत है, ख़बर है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र व्यवसायिक शिक्षा मण्डल द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें प्रवेश की अहर्ता एम0बी0बी0एस0, बी0यू0एम0एस0,बी0ए0एम0एस0,बी0एच0एम0एस0व बी0ई0एम0 एस0 है अब आप विचार करिये कि इस तरह का कोर्स क्या सम्भावनायें रखता है ?कितना विरोधाभास है ?एक तरफ़ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कानून बनवाने की लड़ाई दूसरी तरफ़ एक ऐसे कोर्स का संचालित होना जिसमें प्रवेश योग्यता की शर्त है सिर्फ़ बी0ई0एम0एस0 अन्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अहर्ताधारी जिसके पास बी0ई0एम0एस0 नामक शब्दावली की योग्यता नहीं है वह इस कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकता। अब आप स्वयं अपने खुले दिमांग से यह निणर्य लें कि यह कौन से लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम अकसर आयोजित करते रहते हैं बहुत सम्भव है कि महाराष्ट्र व्यवसायिक शिक्षा मण्डल ने इस तरह का कोई कोर्स फ्रेम किया हो लेकिन जो प्रस्तुतीकरण है वह कहीं से भी सही नहीं लगती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमे यह लगातार बताते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने यह तय कर रखा है कि हम तो नहीं सुधरेंगे !

बात सुधरने न सुधरने की नहीं है बात सिर्फ़ इस बात की है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस समय जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रुरत है परस्पर विश्वास की क्योंकि विश्वास ही काम करने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है ऐसी बातें व्यक्ति का विश्वास तोड़ती हैं और टूटे विश्वास का व्यक्ति कभी भी मज़बूत इरादे के साथ कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो उदाहरण हमने दिये वह तो मात्र एक नमूना है यदि हम इनकी सारणी बनायें तो शायद पढ़ने और गिनने में काफ़ी समय लग जायेगा और यही कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूत स्थिति तक नहीं पहुँचने दे रहा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इस तरह की बातों से लोगों में नई ऊर्जा का संचार होता है और परस्पर संवाद भी होने लगता है ऐसे संवादों से क्या लाभ ?जो संवाद एक नई दिशा को जन्म दें, वर्तमान में जो भी संस्थायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कार्य कर रही हैं यह उनका दायित्व है कि वे ऐसी स्थिति का निर्माण करें जिससे की इलेक्ट्रो होम्योपैथी धीरे–धीरे उस स्थिति को प्राप्त करे जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सम्मान और इसकी उपयोगिता बढ़ सके जो लोग इस तरह की खबरें उछालते हैं उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि यदि उन्होंने इसका प्रयास किया है तो उसका लाभ और श्रेय निश्चित रुप से उनको प्राप्त होगा। श्रेय कभी स्वयं लेने से नहीं मिलता बल्कि श्रेय पाने के लिये ऐसे अच्छे कार्य करने होते हैं जो समाज के लिये उपयोगी हों और जिनका लाभ हर वह व्यक्ति उठा सके जो उस समाज से जुड़ा है, पाने और खोने की फ़िक्र छोड़कर सिर्फ़ काम करने के लिये आतुर रहना चाहिये। चूंकि आज सर्वाधिक आवश्यकता कार्य की है, कार्य के लिये अवसर भी बहुत हैं इन अवसरों का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिये कारण जब कार्य होगा तो उसके परिणामों की चर्चा भी होगी और इन प्राप्त परिणामों की अच्छाई और बुराई के आधार पर भविष्य तय होता है इसलिये अभी भी समय है कि नकारात्मक गतिविधियों से लिप्तता त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोंण के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें सफ़लता निश्चित है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और ना ही अस्तु, किन्तु, परन्तु के लिये कोई जगह।

अन्त में हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि क्षणिक लाभ के लिये दूरगामी लाभ को नहीं छोड़ना चाहिये।

कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता

मरहूम मशहूर शायर निदा फ़ाज़ली की यह गज़ल ***''कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता''*** जब सुनाई पड़ती है तो मन यह सोचने को विवश हो जाता है कि वस्तुतः कभी व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है ?तो उत्तर में मन यही कहता है कि कार्य करते रहो जो मिला वह तुम्हारा जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिये प्रयास करो जिस तरह से यह बात व्यक्ति के जीवन पर लागू होती है ठीक उसी तरह यह बात समाज पर भी लागू होती है, जिस समाज में व्यक्ति जी रहा होता है। चूँकि हम लोग एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं इसलिये हमारा जीवन और हमारी सोच इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आस–पास ही घूमती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा विधा है इस विधा से लाखों करोड़ों व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेते हैं मात्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जिन–जिन देशों में यह चिकित्सा पद्धति अस्तित्व में है और प्रयोग में लायी जाती है वहां के लोग भी अवश्य मन में यह सोचते होंगे कि इस चिकित्सा पद्धति का भी अपना एक सम्मानजनक स्थान होना चाहिये, कोई और सोचे या न सोचे पर भारतवर्ष के इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस विषय में ज़रुर विचार करते हैं इसका कारण यह है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृति के साथ–साथ बहु भाषाभाषी लोगों के दर्शन होते हैं।

लगभग 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में रहने वाले लोग तरह–तरह की चिकित्सा पद्धतियां प्रयोग में लाते हैं हम ऐसा समझते हैं के शायद आधा प्रतिशत (5%) लोग इस चिकित्सा पद्धति को भी प्रयोग में लाते होंगे, यदि मेरा अनुमान ठीक है तो भी एक बहुत बड़ा प्रतिशत इस चिकित्सा पद्धति को प्रयोग में ला रहा है जहाँतक बात इस चिकित्सा पद्धति को जानने की है तो हम यह बात विश्वास से कह सकते हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्र बहुतायत में लोग इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों में भी यह चिकित्सा पद्धति अपनी मज़बूत पकड़ बना चुकी है, उत्तरपूर्वी राज्यों के साथ–साथ हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनी पहचान की मोहताज नहीं है कुल मिलाकर यह सारे दृश्य देखने के बाद मन यह बार–बार सोचता है कि इतना सबकुछ प्रचार व प्रसार होने के उपरान्त भी इस चिकित्सा पद्धति को अभी भी शासकीय उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पाकर भी हम नहीं पाते हैं और मन लगातार इस संशय से उभर नहीं पाता है कि कल क्या होगा ?कभी–कभी कुछ लोग इसे भाग्य से जोड़कर देखते हैं एक कर्मयोगी होने के नाते मन इस बात को मानने से इन्कार करता है कि सबकुछ भाग्य से ही होता है कर्म और भाग्य के इस खेल में कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति गीता के कर्मयोग सिद्धान्त को ही प्रथम स्थान देता है, चूँकि यह निर्विवाद रुप से सत्य है कि जीवन में किये गये कर्मों का फ़ल ही व्यक्ति के सामने परिणाम के रुप में आता है सिर्फ़ जीवन और मृत्यु इस सिद्धान्त से परे है, वैसे तो विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है मृत्यु पर तो नहीं जीवन पर विज्ञान ने अपना अधिकार जमाना शुरु कर दिया है, हम आये दिन समाचारपत्रों एवं सूचना के विभिन्न माध्यमों से यह जानते रहते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो बच्चे का जन्म एक निश्चित अवधि पूरी हो जाने के बाद जब माता पिता चाहते हैं उस दिन सिज़ेरियन विधि से बच्चे का जन्म कर देते हैं। आस्थावान लोग तो यहां तक तर्क देते हैं कि ऊपर वाले को यही तिथि निश्चित थी इसलिये उसी तिथि पर बच्चे का जन्म हुआ लेकिन एक समझदार व्यक्ति निश्चित रुप से इसे विज्ञान की प्रगति मानेगा लेकिन यहां पर भी माता पिता दोनों को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है यह बात यहां पर इसलिये बता रहे हैं चूँकि कहने को डेढ़ सौ (150) वर्ष से इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रयोग में लाई जा रही है, हज़ारों लोग इस चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन का आधार बना चुके हैं इसी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपनी रोटी रोज़ी चला रहे हैं लेकिन बिरला ही कोई ऐसा होगा जो यह कहता होगा कि हम पूर्ण संतुष्ट हैं।

यह सब कुछ ऐसी बातें हैं जो बार–बार मन को सोचने पर विवश कर देती हैं कि आखिर इस चिकित्सा पद्धति में ऐसी कौन सी कमी है ! जो संतुष्टि नहीं प्रदान कर रही है ?यह प्रश्न कल भी था और आज भी है, पूर्णतः मिलना या न मिलना यह बाद की बात होती है प्रथम स्तर पर तो व्यक्ति जो कार्य करता है उसको उस कार्य से संतुष्टि मिलनी चाहिये क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करता है वह अपने कार्य से यदि पूर्ण रुपेण तुष्ट है तो वह उस कार्य को पूरे मनोयोग से करता है और उस कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिये अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग भी कर डालता है और जहाँ कार्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं होता वहां पर कार्य सम्पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कमोबेश स्थिति यही है देश में जितने भी चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं यदि आप उनसे बात करलें तो कहीं से भी संतुष्टि के भाव नज़र नहीं आते हैं। यह कोई अच्छे लक्षण नहीं हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता और गुणवत्ता में तनिक भी सन्देह नहीं है यह बात हम सब खुले मन से मानते हैं, अब यदि औषधियां ही शुद्ध नहीं मिले तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते लेकिन यदि औषधियों का चयन और उनका प्रयोग ठीक ढंग से किया गया हो तो परिणाम अपेक्षित ही मिलते हैं यह बात हम दावे से इसलिये कह रहे हैं क्योंकि लगभग बीस (20) वर्ष तक मैं स्वयं चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ इन 20 वर्षों में हज़ारों की संख्या में मरीज़ों ने इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, अगर कोई इसे चमत्कार या भाग्य कहे तो इसे मन आसानी से मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि चमत्कार रोज़–रोज़ नहीं हुआ करते हैं बीस वर्ष का समय छोटा नहीं होता है इन बीस वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने तमामा उतार चढ़ाव देखे हैं इन्हीं आंखों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह चरम भी देखा है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथ हर किसी से मुकाबला लेने के लिये बे झिझक खड़े हो जाते थे और अपनी बात बड़े वज़न के साथ रखते थे वह दिन भी देखा जब पूरे देश में यकायक शान्ति और निराशा का वातावरण पैदा हुआ कलतक जो समर्थक थे आज वही अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, कल तक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का झण्डा उठाकर नायक की तरह आगे–आगे चला करते थे पता नहीं उनको भी क्या हुआ ?वह ह कहाँ चले गये ?

परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं लेकिन जो परिस्थिति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बनी शायद अन्य चिकित्स पद्धति के साथ न घटा होगा। वह हज़ारों

चिकित्सक जो कल तक जो सीना तानकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे थे वह भी दुबक गये। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने या तो अपना रास्ता बदल दिया या फिर कार्य करने का तरीका, इन परिस्थितियों में विचलित तो हम भी हुये लेकिन हताश नहीं, चूंकि मन में यह दृढ़ विश्वास था कि आसानी से कोई इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, परिस्थितियोंवश कुछ क्षण कुछ वर्षों के लिये रुकावट तो आ सकती है लेकिन जड़ से खत्म हो जाये यह सम्भव नहीं है और यही दृढ़ विश्वास मेरे लिये सम्बल बनकर काम आया चूँकि अकसर कार्यक्रमों में आना–जाना होता है इसलिये चिकित्सकों की मानसिकता से थोड़ा–बहुत परिचित भी हूँ लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पुनर्स्थापित करना अपने आपमें एक जटिल कार्य है, टूटी हुई मानसिकता को जोड़ना आसान होता है लेकिन जब व्यक्ति का आत्मबल टूट जाये तो उसको पुनः जागृत करना थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसी बात की सबसे अधिक आवश्यकता है यदि यह कार्य हो जाये तो जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना दुष्कर नहीं होगा यदि सही बात पूछी जाये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो भी घटनाक्रम घटा उसके कहीं न कहीं सभी दोषी हैं, यदि हम आज़ादी के बाद से आजतक की बात करें तो सरकार द्वारा कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को रोकने का आदेश नहीं दिया गया और जहाँ कहीं भी इस तरह के आदेश आये तो उनके नेपथ्य में कहीं न कहीं हम सब लोगों की की गयी अनावश्यक बयानबाज़ी व अतिरेकता भरी लिखा पढ़ी ही रही है।

यह सभी लोग जानते हैं कि 27 मार्च, 1953 को जो पहला अर्धशासकीय पत्र जो उस समय में भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम जारी हुआ था उस समय भी सरकार ने यह अपेक्षा की थी कि कार्य किया जाये उचित अवसर आने पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वास्तविक स्थान दिया जायेगा लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कितना कार्य हुआ यह सर्वविदित है, समय बीतता गया विकास होता गया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के रास्ते पर हम सभी चल पड़े लेकिन इस विकास की यात्रा में संस्थाओं का विकास हुआ, व्यक्तियों का विकास हुआ लेकिन जो विकास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का होना चाहिये था उसके तो दर्शन ही नहीं होते हैं।

तमाम सारी संस्थाओं का खुल जाना, उन संस्थओं से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करना बहुतायत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का बनना यह सब प्रचार और प्रसार की एक बानगी भर है, वास्तविक विकास तो तब होता जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में इतना कार्य होता कि वह जन–जन में लोकप्रिय होती। मेरा मानना है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति का सर्वांगीर्ण विकास तभी होता है जब उस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक साध्य और असाध्य दोनों प्रकार के रोगों पर अधिकार पूर्वक कार्य कर सकारात्मक परिणाम ला पातें यही एक वह कमी रही है जो अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित नहीं होने दे रही है यद्यपि अब परिस्थितयां धीरे–धीरे पुनः अनुकूल होती जा रही हैं कार्य करने का उचित अवसर और वातावरण भी है, ऐसा नहीं है कि इस तरह का अवसर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पहली बार मिला हो हमें अवसर तो बार–बार मिलते रहे हैं लेकिन उन अवसरों को हम सही ढंग से प्रयोग ही नहीं कर पाये अगर हम याद करें 18 नवम्बर, 1998 को दो आदेश पारित हुये थे पहला आदेश था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपनी क्षमतानुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरा आदेश आया कि केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारें केन्द्र शासित प्रदेश आदेशों मे दिये गये निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनायें लेकिन 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया एक आधी संस्थाओं को छोड़कर किसी भी संस्था द्वारा इस तरफ़ सकारात्मक काम नहीं किया गया और जिन संस्थाओं द्वारा इस तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया उन्हें भी अभी तक इस आदेश को क्रियान्वित करा पाने में सफ़लता नहीं मिली है, प्रयास जारी हैं प्रयासों के बाद सफ़लता तो मिलती ही है ऐसा मेरा विश्वास है आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं है सिर्फ़ एक औपचारिकता अधिकारियों को पूरी करनी है वह यह है कि जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में चिकित्सकों का पंजीयन आवेदन स्वीकार होना, इस विषय में सरकार से लगातार सम्वाद एवं पत्र व्यवहार प्रगति पर है प्रयास चरम पर हैं यदि सरकार द्वारा शीघ्र ही इस सन्दर्भ में सार्थक निर्णय नहीं लिया गया तो मार्च के महीने में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ एकत्रित होकर सरकार को विवश करेंगे कि 04 जनवरी, 2012 को जारी शासनादेश का पूर्ण रुपेण क्रियान्वयन हो, सरकार हमारी बात न माने ऐसा होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है क्योंकि अधिकारिता पर ज़्यादा देर तक हम उपेक्षा स्वीकार नहीं करेंगे सबकुछ पाने की इच्छा है इसी के लिये पारदर्शी भाव से प्रयास हो रहे हैं।

'सबका सहयोग ही सफलता' यह भाव कल भी थे और आगे भी रहेंगे जिन पंक्तियों से लेख का प्रारम्भ हुआ था वह मशहूर शायर आज हमारे बीच नहीं हैं इनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति प्रेम सर्वविदित है सन् 1983 में जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी आगे बढ़ने के लिये प्रयासशील थी और फ़ाज़ली साहब भी मंचों से वाहवाही लूट रहे थे तब इवाने ग़ालिब हॉल नई दिल्ली में इलेक्ट्रो होम्योपैथों का हौसला बढ़ाते हुये कहा था कल की बातें भूल आगे पे निगाह रखना, ज़माने की बातों पे न जाकर मंज़िल पे ध्यान रखना। उनकी यह बातें मुझे सदैव प्रेरित करती रहती हैं, मुझे आज भी वह दिन याद आता है सन् 2000 में जब बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का रजत जयन्ती समारोह 24 अप्रैल, 2000 को कानपुर में आयोजित होना था दूसरे दिन के कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरा प्रस्तावित था इसी मुशायरे में फ़ाजली जी को आमन्त्रित करने के लिये मैं और बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी के साथ मिलने उनके आवास पर गया तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास की बात पूछी फिर अपने ही अन्दाज़ में कहा मामला कहाँ तक पहुँचा ?

डा0 इदरीसी ने जब उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की वस्तुस्थित से अवगत कराया तो खुश होकर बोले, लगे रहो कामयाबी ज़रुर मिलेगी जब न्यायालय कानून बनाने की बात कहने लगा है तो निश्चित मानों कि अब तुम लोग कुछ लेकर ही हटोगे साथ ही साथ उन्होंने यह कामना की कि इदरीसी भाई ! काम करते रहो तुमहारे लिये पद्मश्री की सिफ़ारिश मैं स्वंय करुंगा। इसके बाद कवि नीरज जी से जब अलीगढ़ में उनके आवास पर सम्पर्क हुआ तो आने की सहमति तो दी ही दी और हास्य की मुद्रा में बोले

बिजली अभी लाल ही है या फिर हरी भी हुई है

उनका आशय सरकारी संरक्षण से था जब उन्हें 1998 की बात बतायी गयी तो कवि नीरज ने कहा सुनो ! इस लाईन का अर्थ निकालना–

काँच से ही न नज़रें मिलाती रहो,
बिम्ब को मूक प्रतिबिम्ब छल जायेगा।

आज कवि नीरज इस सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं उनका आशीर्वाद भी हमें पहले से ही प्राप्त है यह सब विचार जब मन में क्रमबद्ध तरीके से घूमते हैं तो मन मयूर नाँचने लगता है और कहने लगता है कि.....

यह बसन्त जरुर बसन्ती होगा। ज़रुरी भी है और आज की आवश्यकता भी।।

संस्थाओं को अपनी सीमायें समझनी चाहिये – डा0 इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रचार – प्रसार व विकास की दिशा में स्वैच्छिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है स्वतंत्रता के पूर्व भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कुछ स्वैच्छिक संस्थायें कार्य कर रहीं थीं जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये बहुत कार्य किये थे उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर क्षेत्र में विकसित हो पाई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन संस्थाओं के साथ–साथ कुछ अन्य संस्थाओं ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने के लिये काफ़ी प्रयास किये और आज भी उन संस्थाओं द्वारा प्रयास जारी हैं। इसी परिपेक्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भ में कुछ स्वैच्छिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की परीक्षाओं का आयोजन प्रारम्भ किया गया तदुपरान्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की शिक्षा को विधि सम्मत व तर्क संगत बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये गये और प्रदेश में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। इस व्यवस्था से पूरे प्रदेश ही नहीं सारे भारतवर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, गुरु शिष्य परम्परा से हटकर अब पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के निश्चित पाठयक्रम प्रारम्भ किये गये, इस पाठयक्रम प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के मूल में यह उद्देश्य था कि नियमित शिक्षा व्यवस्था ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण प्रदान करवा सकती है। यद्यपि 27 मार्च, 1953 को प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता को स्वीकारते हुये एक अर्धशासकीय पत्र निर्गत किया था जिसपर यह स्पष्ट रुप से कहा गया था कि कार्य करें उचित अवसर आने पर सरकारी नियन्त्रण किया जायेगा इस पत्र का आशय यह था कि सरकार हमारे कार्य को स्वीकार तो करती थी परन्तु वह हमारी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी सरकार चाहती थी कि जो कुछ भी हो एक व्यवस्थित कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जाये ताकि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी उसी व्यवस्था के तहत बांधा जाये जिन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियां संचालित हो रही थीं, व्यवस्थाओं का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की योग्यता प्राप्त करने लिये अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तय हो, पाठयक्रम की अवधि तय हो, पाठयक्रम में पढ़ाये जाने वाले उन सभी विषयों का निर्धारण हो जिससे प्रशिक्षणार्थी चिकित्सा के सभी विषयों से परिचित हो और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं विषयों का समावेश किया जाये जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी सम्मिलित हो, चूँकि हर चिकित्सा पद्धति का अपना अलग भेषज्य विज्ञान होता है इसलिये इस विज्ञान को गहनता से अध्ययन कराना होता है अब यह सारा कार्य कौन करेगा ?किस संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्य संचालित किये जायेंगे यह भी आवश्यक तत्व है क्योंकि पाठयक्रम को संचालित करना तो सामान्य बात है लेकिन उस पाठयक्रम की उपयोगिता और उसकी वैधानिकता ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और इसका सीधा सम्बन्ध रोज़गार से जुड़ा है इसलिये संस्थाओं द्वारा इस तरह के पाठयक्रमों की वैधानिकता सबसे ऊपर रखनी पड़ती है, आपको स्मरण होगा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयुर्वेद की परीक्षायें क्रमशः उपवैद्य,वैद्यविशारद व आयुर्वेद रत्न आयोजित की जाती थीं जोकि ज्ञान के साथ–साथ रोज़गार भी उपलब्ध कराती थीं इसलिये यह पाठयक्रम पूरे देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोकप्रिय हुये लाखों की संख्या में लोगों द्वारा इन उपाधियों को धारण कर जीविको पार्जन के साथ–साथ समाज को स्वास्थ्य सेवायें भी दीं और यह कार्यक्रम तबतक चलता रहा जबतक इनपर कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं था जैसे ही सरकारी नियन्त्रण हुआ इन परीक्षाओं का धीरे–धीरे क्षरण होने लगा और व्यवस्थाविहीन होने के कारण इन उपाधियों के उपयोग पर सदैव के लिये रोक लग गयी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं के लिये यह एक सबक है कि संस्थाओं के संचालन की कुछ सीमायें होती हैं, उनके कुछ वैधानिक अधिकार होते हैं, इनके संचालन के कुछ मानक होते हैं और जब मानक पूरे नहीं किये जाते हैं तो समस्यायें पैदा होती हैं और समय रहते समस्याओं पर नियन्त्रण नहीं किया तो यह समस्यायें दुःखदायी हो जाती हैं, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं पर अभी तक कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है लेकिन फिरभी जो संस्थायें प्रचलित कानूनों का पालन नहीं करेंगी उनके कार्य का कोई वैधानिक स्तर नहीं होता इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज भी बहुत सारी ऐसी संस्थायें हैं जो अपने अधिकारों पर अतिक्रमण करते हुये कार्य कर रही हैं, एक सामान्य सा उदाहरण है कि चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये राज्य स्तरीय संस्था के द्वारा चिकित्सक का पंजीयन होना चाहिये और जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है उसे उसी राज्य की विधिसम्मत ढंग से स्थापित संस्था से पंजीकरण कराना चाहिये परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज भी कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो अपने स्वरुप को राष्ट्रीय स्तर का घोषित करती हैं और यह दावा करती हैं कि उनकी संस्था के द्वारा पंजीकृत चिकित्सक सारे भारत में चिकित्सा व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं यह बात कितनी उचित है यह बताना मैं ठीक नहीं समझता, राष्ट्रीय स्वरुप की संस्थाओं को पूरे देश में कार्य करने का अधिकार है परन्तु उनको अपने स्वरुप में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिये और राज्य इकाई का गठन करना चाहिये, दूसरी एक महत्वपूर्ण कमी है, वह यह है कि कोई भी संस्था संचालक अपने कार्य की पादर्शिता प्रकट नहीं करना चाहता जिससे भी सामन्जस्य में समस्या खड़ी होती है, जैसे यदि किसी चिकित्सक ने दिल्ली राज्य की किसी संस्था से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और वह चिकित्सक प्रमाणपत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है, विधिसम्मत ढंग से यदि वह चिकित्सक उत्तर प्रदेश राज्य की चिकित्सा व्यवसाय के लिये मन बनाता है इस हेतु जब वह चिकित्सक अपने पंजीयन हेतु उत्तर प्रदेश की किसी संस्था से सम्पर्क करता है और वह संस्था उक्त प्रमाणपत्र की सत्यता जानने

के लिये प्रमाणपत्र प्रदाता संस्था से प्रमाणपत्र की सत्यता की पत्र व्यवहार करता है तो वह संस्था उस प्रमाणपत्र की स्थिति बताने में स्वयं सहज महसूस नहीं करती है ऐसा क्यों है ?लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ?यह तो गर्भ में है परन्तु इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता पर स्वयं प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है और सन्देह अपना स्थान बना लेता है। यह स्थिति कमोबेश सभी राज्यों में दृष्टिगोचर होती है, प्रमाणिकता बहुत आवश्यक है, संस्थाओं को अपनी सीमाओं और अधिकारों के बारे में विश्वस्त रहना चाहिये सरकार पता नहीं कब किसको क्या अधिकार प्रदान कर दे इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिये कुछ वर्षों पहले डीम्ड विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा का अधिकार दिया गया, इन डीम्ड विश्वविद्यालयों ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये स्वयं के राज्य के साथ–साथ विभिन्न राज्यों में अपने परिसर खोल डाले परिणामतः अराजकता ने जन्म ले लिया सरकार की दृष्टि इस पर पड़ी और सरकार ने तत्काल इस कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया अब पुनः आवश्यकता महसूस हुयी सरकार ने अतिस्पष्ट रुप से निर्देश दिये कि डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा पूरे देश में अधिकतम 6 परिसर ही खोले जा सकते हैं यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्था संचालकों के लिये शुभ संकेत है, बशर्ते यह संस्था संचालक अपने कार्यों में पारदर्शिता दिखायें और अधिकारों में अतिक्रमण न करें भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथों को उपहार स्वरुप में 21 जून, 2011 का आदेश दिया है यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के नाम है इस आदेश का जो स्वरुप है और जो आदेश के अन्तर्निहित भाव हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया को एक नीतिनियामक संस्था के रुप में स्थापित करती है, मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस संगठन ने आजतक कभी भी स्वः की भूमिका नहीं अपनायी बल्कि एक प्राधिकारी के रुप में सामने आयी है। आप सभी लोगों को स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश में सन् 1992 में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित हो रही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं के बन्दी के आदेश दिये थे तब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का अनुसांगिक संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कालेजेज़ एसोसिएशन ने एक मुकदमा लगा कर प्रदेश को राहत प्रदान करवायी थी उस समय भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया मात्र नीतिनियामक की भूमिका में था आज भी वहीं है, कुछ लोगों को भ्रम है कि यह संगठन शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त है उन्हें अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिये यह संगठन सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की कार्यप्रणाली किस तरह से संचालित हो रही है इसकी निगरानी करती है। जो संस्थायें इस संगठन की परिधि में हैं उन्हें विधिसम्मत ढंग से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। आज की सत्यता यही है।

कल क्या होगा ?यह कल पर है, हमें अच्छे भविष्य के लिये आज पर निर्भर रहना होगा, यहां पर स्वामित्व व एकाधिकार जैसी कोई बात नहीं है, हम आज भी अपनी प्रतिबद्धता पर स्थिर हैं और कल भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अच्छे भविष्य के लिये कार्य करते रहेंगे लेकिन इस तरह के कार्य करने में विभिन्न संस्थाओं को भी अपने अधिकार समझने होंगे।

सबको साथ लेकर चलने की भावना हमें कभी भी अमर्यादित नहीं होने देगी, यह हमारी वचनवद्धता है।

अधिकारों के क्रियान्वयन.... प्रथम पेज से आगे

होने देते हैं काम तो हमारे चिकित्सक कर ही रहे हैं लेकिन जब कभी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है और चिकित्सकों की जाँच होती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो सिर्फ़ अपनी विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा होता है जाँच में जब उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है तो जाँचकर्ता चिकित्सक को एक नोटिस पकड़ा देता है जिसमें लिखा होता है कि चिकित्सक द्वारा मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन नहीं कराया गया। यह कैसी दो तरफ़ा नीति है एक तरफ़ तो काम का अधिकार दिया जाता है दूसरी तरफ़ कार्य करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वह पूरी नहीं की जाती हैं। इस कृत्य को देखकर वह कहावत चरितार्थ हो जाती है कि चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो जागते रहो। यह कहावत ज़्यादा दिनों तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर अब लागू नहीं रह पायेगी चूंकि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जागरूक के साथ–साथ अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुका है अब वह किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है, अभी तक कुछ संस्था प्रमुख यह कह कर चिकित्सकों को दिशा भ्रमित करते थे कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिली है इसलिए पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया उसका परिणाम यह हुआ कि हर चिकित्सक के अन्दर एक नई चेतना का जन्म हुआ है और वह चैतन्य मन से अपने अधिकारों के प्रति पूरी तौर पर जागरूक के साथ–साथ उनका उपयोग भी करना चाहता है।

यद्यपि अभी भी पंजीयन के मुद्दे पर सरकार से पत्र व्यवहार प्रारम्भ है, बहुत सम्भव है कि सकारात्मक सफ़लता भी मिले और इस प्राप्त सफ़लता का क्रियान्वयन भी हो, लेकिन अब चिकित्सक ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता है। हमारे चिकित्सक को प्रदेश के उदीयमान व लोकप्रिय मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्या का समाधान शीघ्र करेंगे वैसे सत्य बात तो यह है कि यह समस्या सिर्फ़ नौकरशाहों की बनायी हुई है यदि अधिकारी चाह लें और विवेक का प्रयोग करें तो किसी भी तरह की कोई समस्या ही नहीं है, अब यह तय हो चुका है कि दो साल का लम्बा समय किसी भी आदेश को क्रियान्वित होने के लिए बहुत होता है, यदि इसमें ज़्यादा विलम्ब होता है तो आदेश की उपयोगिता धीरे–धीरे गौण होने लगती है।

अस्तु कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद यदि सरकार द्वारा पंजीयन के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किये जाते तो पूरे प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ आन्दोलन की राह में उतर कर तब तक आन्दोलित रहेगा जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं होगा। चिकित्सक चिकित्सकीय मर्यादा में रहकर अपनी बात मनवाने में भरोसा रखता है, किसी से टकराव लेना चिकित्सकीय धर्म के विरूद्ध है, लेकिन जब किसी की हठधर्मी या उपेक्षा जीवन और उसके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दे तो ऐसी मर्यादाओं का लाबादा ओढ़ने से अच्छा है कि आन्दोलन की राह में उतरा जाये, यद्यपि अभी भी चिकित्सकों को यह विश्वास है कि शीघ्र ही कोई न कोई ऐसी ठोस कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक की समस्या का समाधान हो जायेगा और जनसामान्य को योग्य व प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा।